


भारत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की देयता के संबंध में लगायी जाने वाली शर्तों के अनुपालन संबंधी

बचनबद्धता प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेनुफूट वनप्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत ग्राम ककरी में ककरी कोथला परियोजना को भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-350/87-एफ. सी, दिनांक- 30.05.1989 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन का आदेश संख्या- एल० 598/14-3-1989, दिनांक- 22.12.1989 द्वारा 185.84 हे० वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक- 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है। उक्त लीज पर दी गयी 185.84 हे० वन भूमि की पुनः 20 वर्षों के लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। ककरी परियोजना से प्रभावित वन भूमि 185.84 हे० के बदले हरदोई में उपलब्ध कराई गयी 189.836 हे० गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसकी पुष्टि व विवरण प्रभागीय निदेशक, वन प्रभाग, हरदोई के पत्रांक 566/ककरी दिनांक आगस्त 4, 1992 (संलग्न - ...:...) में पायी जा सकती है। यदि पुनः लीज नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की देयता संबंधी जो भी शर्तें लगायी जायेगी उसका अनुपालन करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

हस्ताक्षर


अनपरा रेंज प्रभाग
रेनुफूट वन प्रभाग
रेनुफूट-सोनभद्र

अनपरा रेंज-
रेनुफूट वन प्रभाग-सोनभद्र


General Manager
Kakri Project
N.C.L.
(एल०पी० गोडसे)
महाप्रबंधक-ककरी परियोजना
पता-महाप्रबंधक कार्यालय
ककरी परियोजना, पोस्ट-ककरी,
जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)